नकल आदेश दि० 17/2/09

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर, इलाहाबाद ।

वाद संख्या 10 सन् 2009

धारा 143 ज0 वि0 जमींदारी विनाश अधिनियम ।

ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद ।

संस्थान सेन्टर फार संस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन

189 आकलैण्ड रोड, द्वारा अध्यक्ष डा0 दीनानाथ तिवारी

बनाम

सरकार

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा इस कथन के साथ योजित किया गया है कि ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इलाहाबाद की आराजी संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.019, 59/0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.563, 74/0.203, 75/0.073, 76/0.016, 79/0.171, 79/2 रकबा 1.113, 82/0.051, 56/0.328 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237, 111/0.465, 112/0.251 के संक्रमणीय भूमिधर है तथा मौके पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है पिछले कई सालों से खेती नहीं की जा रही है । उपरोक्त आराजी पर शम्भूनाथ इन्स्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी नाम विधालय की इमारत खड़ी है । इस आराजी के अगल बगल भी उक्त विधालय की इमारत बनी है । उक्त संस्थान द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु शिक्षण कार्य तकनीकी माध्यमिक, उच्च शिक्षा एंव चिकित्सीय शिक्षा किया जा रहा है । इस कारण शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय माध्यमिक एंव उच्च शिक्षा हेतु अकृषिक घोषित किया जाय । पत्रावली तहसीलदार सदर को स्थानीय परीक्षण हेतु भेजी गयी । नायब तहसीलदार दक्षिणी द्वारा अपनी आख्या प्रेषित की जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया । मैने पत्रावली पर उपलब्ध राजकीय अभिलेखों एंव नायब तहसीलदार एंव तहसीलदार सदर की स्थलीय/अभिलेखीय आख्या का विधिवत परीक्षण किया । नायब तहसीलदार दक्षिणी द्वारा अपनी आख्या में यह अंकित किया गया है कि उपरोक्त आराजियात वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है । उक्त समस्त भूमियों पर कई वर्षों से कोई कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है बल्कि गैर कृषिक उपयोग हो रहा है । उक्त भूखण्ड को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है । जिसे तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है । चूँकि भूमि पर कृषि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि शिक्षण कार्य हेतु उपयोग उपभोग किया जा रहा है, इस कारण शिक्षण कार्य हेतु अकृषिक घोषित किये जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं प्रतीत होती है

क्रमशः----2

Director
Centre for Sustainable
Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आदेश दिया जाता है कि स्थापित शिक्षण संस्थान को उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए एंव कृषि कार्य न होने के कारण ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर, इला० स्थित आराजी संख्या 26/0.268, 30/0.114, 58/0.017, 59/0.205, 61/0.104, 62/0.200, 63/2.425, 73/0.563, 74/0.293, 75/0.073, 76/0.016, 56/0.328, 279/2 रकबा 1.113, 82/0.051, 84/0.367, 100/0.734, 90/0.237, 111/0.465, 112/0.251 हे० व 79/0.171 हे० को शिक्षण संस्था तकनीकी, चिकित्सीय, माध्यमिक एंव उच्च शिक्षण हेतु अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना जारी हो। आदेश की सत्यापित प्रति उप निबंधक सदर, प्रथम/द्वितीय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक - 17.2.2009

17/2/09

(आशुतोष कुमार द्विवेदी)
उप जिलाधिकारी, सदर
इलाहाबाद।

(110)

25/2/09
25/2/09
25/2/09
लगभग 600 रु०
13.10 ...

सत्यापित
25/2/09
न्यायालय उप जिलाधिकारी
सदर, इलाहाबाद

भूमिधर अंकित है।

नकल आदेश दिनांक – 08/5/12
तारीख फैसला – 08/5/12

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर, इलाहाबाद ।

वाद संख्या 30 सन 2012 अन्तर्गत धारा 143 उ0प्र0 राजस्व अधिनियम

ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव एवं रहीमाबाद परगना व तहसील सदर इलाहाबाद

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलेपमेंट
एण्ड पावर्टी एलिविएशन इलाहाबाद
द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी

प्रति उ0प्र0राज्य व अन्य

निर्णय
=====

उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलिविएशन इलाहा-बाद द्वारा सचिव कौशल कुमार तिवारी पुत्र स्व0 शम्भू नाथ तिवारी नि0 102 बैनीगंज परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद ने ग्राम शाहा उर्फ पीपल गाँव परगना व तहसील सदर की आ0सं0 1 रकबा 0.046है0, आ0नं005 रकबा 1.135है0, आ0नं06 रकबा 0.279है0 व आ0नं02 रकबा 0.414है0 व मौजा रहीमाबाद परगना व तहसील सदर की आ0सं0 89 रकबा 0.123है0, आ0नं091 रकबा 1.687है0, आ0नं093 रकबा 0.399है0 व आ0नं0 94 रकबा 0.680है0 को आबादी/अकृषिक घोषित करने हेतु यह वाद दायर किया है ।

इस पर तहसील से आख्या प्राप्त की गई । तहसील के नायब तहसीलदार दक्षिणी सदर की आख्या दिनांक 01-5-2012 जो तहसीलदार सदर द्वारा दिनांक 02-5-2012 को संस्तुति सहित अग्रसारित है, पत्रावली पर उपलब्ध है ।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया । ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर की उद्धरण खतौनी 1418-1423फ0 के खाता संख्या 653 के आ0सं0 1 रकबा 0.046है0 व इसी ग्राम के खाता संख्या 89 के आ0सं0 5 रकबा 0.1350है0, आ0सं06 रकबा 0.2790है0 व आ0सं0 2 रकबा 0.4140है0 व ग्राम रहीमाबाद की उद्धरण खतौनी 1416-1421 के खाता संख्या 6 के आ0सं0 89 रकबा 0.4630है0 आ0सं0 91 रकबा 1.6870है0 तथा खाता संख्या 7 के आ0सं0 93 रकबा 0.399है व खाता संख्या 40 के आ0सं0 94 रकबा 0.680है0 पर आवेदकपक्ष का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है । नायब तहसीलदार दक्षिणी की आख्यानुसार प्रश्नगत गाटों पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है। सम्पूर्ण भूमि अकृषिक प्रयोग में लाई जा रही है । अतः इसे अकृषिक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है ।

आदेश
=====

उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम शाहा उर्फ पीपलगाँव परगना व तहसील सदर जिला इलाहाबाद की खतौनी 1418-1423फ0 के खाता संख्या653 के आ0सं0 1 रकबा 0.046है0 खाता संख्या 89 के आ0सं0 5 रकबा 0.1350है0, आ0सं06 रकबा 0.2790है0 व आ0सं0 2 रकबा 0.4140है0 तथा ग्राम रहीमाबाद परगना व तहसील सदर इलाहाबाद की खतौनी 1416-1421फ0 के खाता

... for Sustainable ... & Poverty Alleviation Allahabad-211001

संख्या 6 के आ0सं0 89 रकबा 0.4630हे0, आ0सं0 91 रकबा 1.6870हे0, खाता संख्या 7 के गाटा संख्या 93 रकबा 0.399हे0 व खाता संख्या 40 के आ0सं0 94 रकबा 0.6800हे0 जो उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवेलेपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीवियेशन 18ए आकलैण्ड रोड जिला इलाहाबाद के नाम है को अकृषक घोषित करते हुए भू राजस्व से मुक्त कर प्रख्यापित किया जाता है । इस आदेश से किसी सहखातेदार के अंश के क्षेत्रफल एवं स्थिति विशेष पर या स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । ज0वि0 अधिनियम की नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत इस आदेश की एक प्रति उप निबंधक सदर को निःशुल्क निबंधनहेतु भेजी जाय । परवाना जारी हो । बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो ।

6/5/12

(संतोष कुमार)
उप जिलाधिकारी सदर
इलाहाबाद ।

सत्य प्रतिलिपि
09/5/12

[illegible]
न्यायालय उप जिलाधिकारी
सदर, इलाहाबाद

4
13.00

1. [illegible] 09/5/12
2. दिनांक तय्यारी नकल 09/5/12
3. दिनांक [illegible] 09/5/12
4. टिकट [illegible] 13.00
5. शब्द [illegible] लगभग 300 शब्द

[illegible] 09/5/12

[illegible]

गना
या 653
106
परगना
खाता